Rehabilitation package for Textile Mills in Madhya Pradesh

1191. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the measure taken to implement the rehabilitation package for the textile mills located in Madhya Pradesh; and

(b) whether funds have been released to meet the requirement of working capital of these mills?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) and (b) The NTC (MP) has been referred to the BIFR which has declared it to be a sick Industrial Company. Rehabilitation package for revival of the mills under NTC (MP) was finalised by the Government and placed before the BIFR for consideration. Though the Government has kept in abeyance the recovery of Government loan and interest thereon from the subsidiary without any cut-off date, the BIFR has issued show cause notice for winding up NTC (MP) on the ground that the net worth of the subsidiary would not become positive within a period of 10 years. The matter regarding waiver of outstanding Government loan and interest in respect of this subsidiary is presently under consideration of the Government.

Pending approval of the rehabilitation package by the BIFR and its implementation, Government has been releasing funds for payment of wages/salaries and bonus. During the current year 1995-96 up to 28.2.96, an amount of Rs. 25.94 crores has been released to NTC (MP).

विदेशी केबल नेटवर्कों को भारत में कार्यक्रमों का निर्माण करने की अनुमति दिया जाना

1192. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस०एस० सुरजेवाला:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीएनएन, जीटीवी, एटीएन जैसे विदेशी केबल नेटवर्कों को भारत में फिल्मों और कार्यक्रमों का निर्माण करने की अनुमति दी जा रही है तथा ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारण हेतु विदेश भेजा जाता है;

(ख) इस व्यवस्था से क्या लाभ मिल रहे हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं कि ऐसे कार्यक्रम भारतीय कानूनों के उपबंधों तथा भारतीय संस्कृति की परम्पराओं और नैतिक मूल्यों के अनुरूप हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम० सईद): (क) चूंकि इन चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले स्थानीय तौर पर निर्मित कार्यक्रम भारतीय वैयक्तिक/कम्पनियों से प्राप्त किए जाते हैं इसलिए सरकार से इस प्रयोजनार्थ कोई मंजूरी लेनी जरूरी नहीं होती है।

(ख) भारतीय साफ्टवेयर की बढ़ती मांग के फलस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, इस व्यापार में लगे भारतीय कलाकारों/तकनीशियनों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

(ग) विदेशी चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों की विषय-वस्तु भारत सरकार के विनियमों की परिधि में नहीं आती है।

नए औद्योगिक उपक्रमों द्वारा पिछड़े जिलों में उत्पादन शुरू किया जाना

1193. **श्रीमती मालती शर्मा:**
श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला:
श्री नागमणि:
श्री राजनाथ सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995-96 के केन्द्रीय बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IC के अन्तर्गत जिन नए औद्योगिक उपक्रमों को पंचवर्षीय कर छूट का लाभ दिया गया है उन्होंने कुछ राज्यों के पिछड़े जिलों (आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट जिलों के अलावा) में उत्पादन शुरू किया है;

(ख) क्या ऐसे पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिये अभी तक कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और